Warren Hastings (Part-1)

For U.G. Part-3,Paper-6

1750 में वारेन हेस्टिंग्स कंपनी के एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया और अपनी कार्यकुशलता के कारण शीघ्र ही वह कासिम बाजार का अध्यक्ष बन गया। 1772 में इसे बंगाल का गवर्नर बनाया गया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत **1774** में वारेन हेस्टिंग्स को **भारत का प्रथम गवर्नर जनरल** का पद प्रदान किया गया। वारेन हेस्टिंग्स की बंगाल के गवर्नर के रूप में नियुक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ती है।

प्रशासनिक सुधार

वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के आदेशानुसार बंगाल से द्वैध शासन की समाप्ति की घोषणा की साथ ही साथ सरकारी खजाने का स्थानांतरण मुर्शिदाबाद से कोलकाता किया। हेस्टिंग्स ने राजस्व वसूली का अधिकार कंपनी के अधीन कर दिया

Scanned with CamScanner

और राजस्व वसूली में सहायता देने वाले दो भारतीय उप दीवानों मोहम्मद रजा खां तथा राजा शिताब राय को पदच्युत कर दिया। इसने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की जिसमें कंपनी के राजस्व संग्राहक नियुक्त किये गये।

भूमि कर सुधार

वारेन हेस्टिंग्स ने राजस्व व्यवस्था को स्थापित करने के लिए परीक्षण तथा शुद्धि का नियम अपनाया। इसके अंतर्गत वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में कर संग्रहण का अधिकार ऊंची बोली बोलने वाले को 5 वर्ष के लिए दे दिए गए। 1773 में कर व्यवस्था में परिवर्तन के अंतर्गत भ्रष्ट तथा निजी व्यापार में लगे कलेक्टरों को पद मुक्त कर जिलों में भारतीय दीवानों की नियुक्ति की गई। उनका कार्य निरीक्षण करने के लिए 6 प्रांतीय परिषदें नियुक्त की गई। ये सब कोलकाता स्थित राजस्व समिति के अधीन होती थी। इस पंचवर्षीय भू राजस्व व्यवस्था से कृषकों को काफी हानि हुई ।

Scanned with CamScanner

1776 में पंच साला ठेके वाली भू राजस्व वसूलने की व्यवस्था खत्म कर पुनः एक वर्षीय प्रणाली अपनाई गई और कर संग्रहण के अधिकार नीलाम कर दिए गए। इस बार जमींदारों पर पहले से अधिक विश्वास किया गया ।1781 के परिवर्तन के अंतर्गत प्रांतीय परिषदें समाप्त कर दी गई। कलेक्टरों को पुनः जिले में नियुक्त किया गया और उन्हें कर को तय करने का अधिकार पुनः मिल गया। इस प्रकार वारेन हेस्टिंग्स कोई निश्चित कर व्यवस्था अथवा प्रणाली बनाने में असफल रहा। इसका मुख्य कारण उसकी केंद्रीकरण की नीति थी।

न्यायिक सुधार

वारेन हेस्टिंग्स न्यायिक सुधारों के अंतर्गत जमींदारों से न्यायिक अधिकार छीन लिये। इसकी न्याय व्यवस्था मुगल प्रणाली पर आधारित थी ।**1772** में इसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना की। दीवानी न्यायालय कलेक्टरों के अधीन थे

Scanned with CamScanner

जहां पर 500 रु. तक के मामलों का निपटारा किया जाता था। 500 रु. से ऊपर के मुकदमों की सुनवाई सदर दीवानी अदालत करती थी जिसका अध्यक्ष सर्वोच्च परिषद का प्रधान तथा दो अतिरिक्त सदस्य होते थे। हिंदुओं के मामलों का निपटारा हिंदू विधि से तथा मुसलमानों का मुस्लिम कानून से किया जाता था। जिला फौजदारी अदालत एक भारतीय अधिकारी के अधीन होता था जिसकी सहायता के लिए एक मुफ्ती और एक काजी होता था। यहां मुस्लिम कानून लागू होता था। वारेन हेस्टिंग के न्यायिक सुधार अधिक सफल रहे। वारेन हेस्टिंग्स के समय रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक था। कलकत्ता से बाहर के मामले यह तभी सुनता था जब दोनों पक्ष सहमत हो। इस न्यायालय में न्याय अंग्रेजी कानूनों द्वारा किया जाता था।

To be continued...

Scanned with CamScanner